

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
संतोष मैन्शन, बी०-ब्लॉक, आर०पी०एस० विधि महाविद्यालय के निकट, रघुनाथ पथ,
दानापुर, पटना-801503
(वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in)

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक (Police Sub Inspector), प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant) एवं बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)], सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना ।

ऑनलाईन (Online) आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि-22.08.2019 (बृहस्पतिवार)
ऑनलाईन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-25.09.2019 (बुधवार)

विज्ञापन संख्या-01/2019

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) एवं बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत वर्ष 2019 में विभिन्न पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:

क्रमांक	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
1.	पुलिस अवर निरीक्षक (Police Sub Inspector)	लेवल-6 (रु० 35400-112400)	2064
2.	प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant)	लेवल-6 (रु० 35400-112400)	215
3.	सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)]	लेवल-5 (रु० 29200-92300)	125
4.	सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)]	लेवल-5 (रु० 29200-92300)	42

उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-01/2019 यहाँ जारी किया जा रहा है ।

उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है । आवेदन-पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता (Preference) के विषय में पूछा जायेगा जिसे उन्हें भरना होगा ।

1. पुलिस अवर निरीक्षक (Police Sub Inspector) के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4/ब1-101/2004-7025 दिनांक 30 अगस्त 2017 एवं अधिसूचना संख्या 8/ब2-10-16/2019-6455/गृ0आ0 दिनांक 07 अगस्त 2019 द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा- आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा- प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

प्रारम्भिक परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मुख्य परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा । द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या- 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी ।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मेधा सूची में tie होने पर दिशा-निर्देश:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

अन्तिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अहर्ताक:

मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 40 प्रतिशत होगा ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थियों का दिनांक 01.01.2019 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2019 को):

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (3) अनारक्षित (सामान्य) कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए ।

आरक्षण :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनु रूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी ।

ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 165 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।
- (3) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर एवं न्यूनतम वज़न 48 किलोग्राम होना चाहिए ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 155 सेन्टीमीटर एवं न्यूनतम वज़न 48 किलोग्राम होना चाहिए ।

सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -
बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए -
बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

शारीरिक दक्षता परीक्षा:

निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा ।

(1) दौड़ -

पुरुषों के लिए -

एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा -

6 मिनट 30 सेकेण्ड (इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)।

महिलाओं के लिए -

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा -

6 मिनट (इससे अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।

(2) उँची कूद -

पुरुषों के लिए - न्यूनतम 4 (चार) फीट

महिलाओं के लिए - न्यूनतम 3 (तीन) फीट

(3) लम्बी कूद -

पुरुषों के लिए - न्यूनतम 12 (बारह) फीट

महिलाओं के लिए - न्यूनतम 9 (नौ) फीट

(4) गोला फेंक -

पुरुषों के लिए - 16 पाउण्ड का गोला

न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

महिलाओं के लिए - 12 पाउण्ड का गोला

न्यूनतम 10 (दस) फीट फेंकना होगा ।

पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	330	124
2.	अनुसूचित जनजाति	21	07
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	371	131
4.	पिछड़ा वर्ग	248	82
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	207	62
6.	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	62	
7.	अनारक्षित (सामान्य)	825	289
8.	कुल योग	2064	695

कैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

1. पुलिस अवर निरीक्षक हेतु अधिसूचित 2064 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में **महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कैतिज आरक्षण** की व्यवस्था की गयी है ।

2. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के **स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी** को **2 (दो) प्रतिशत कैतिज आरक्षण** की व्यवस्था की गयी है अर्थात् उनके लिए कुल **41 (एकतालीस)** पद आरक्षित हैं ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

(1) पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

“असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।”

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

(2) पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

2. प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant) के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4/ब1-101/2004-7025 दिनांक 30 अगस्त 2017 एवं अधिसूचना संख्या 8/ब2-10-16/2019-6455/गृ0आ0 दिनांक 07 अगस्त 2019 द्वारा बिहार पुलिस में प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant) के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant) के पद पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया, स्तर एवं मानदंड

वही है जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निर्धारित है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है । इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, ऊँचाई, सीना की माप (सिर्फ पुरुषों के लिए) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ की दूरी एवं समय वही है जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निर्धारित है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है ।

परिचारी के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य जाँच में निम्नरूपेण सफल होना अनिवार्य होगा:

क्रमांक	शारीरिक दक्षता परीक्षा	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1.	ऊँची कूद	न्यूनतम 4(चार) फीट 6(छः) इंच	न्यूनतम 3 (तीन) फीट
2.	लम्बी कूद	न्यूनतम 15(पन्द्रह) फीट	न्यूनतम 9 (नौ) फीट
3.	गोला फेंक	16(सोलह) पाउण्ड का गोला न्यूनतम 20(बीस) फीट फेंकना होगा	12 (बारह) पाउण्ड का गोला न्यूनतम 10 (दस) फीट फेंकना होगा

प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) (Sergeant) के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	38	13
2.	अनुसूचित जनजाति	03	01
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	40	14
4.	पिछड़ा वर्ग	26	09
5.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	22	06
6.	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	06	
7.	अनारक्षित (सामान्य)	80	28
8.	कुल योग	215	71

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

1. प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) हेतु अधिसूचित 215 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

2. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात् उनके लिए कुल 04 (चार) पद आरक्षित हैं ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

(1) प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

“असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।”

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

(2) प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

3. सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:
बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) की अधिसूचना संख्या-के/कारा/विविध-65/2007(II) 5742 दिनांक 04 जुलाई 2019 द्वारा गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया, स्तर एवं मानदंड वही है जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निर्धारित है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है । इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, ऊँचाई, सीना की माप (सिर्फ पुरुषों के लिए) एवं

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ एवं अन्य जाँच की प्रक्रिया, स्तर एवं मानदंड वही है जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निर्धारित है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है ।

सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	19	07
2.	अनुसूचित जनजाति	01	00
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	22	08
4.	पिछड़ा वर्ग	15	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13	04
6.	पिछड़े वर्गों की महिलार्ये (3%)	04	
7.	अनारक्षित (सामान्य)	51	17
8.	कुल योग	125	41

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

1. सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] हेतु अधिसूचित 125 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

2. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात् कुल 03 (तीन) पद आरक्षित हैं ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण

कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) [Assistant Superintendent Jail (Direct Recruitment)] के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

4. सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:

बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) की अधिसूचना संख्या-के/कारा/विविध-65/2007(II) 5742 दिनांक 04 जुलाई 2019 द्वारा गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] के पद पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया, स्तर एवं मानदंड वही है जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निर्धारित है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है । इस नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 (पचास) वर्ष निर्धारित की गयी है अर्थात् भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा दिनांक 01 जनवरी 2019 को 50 (पचास) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अनिवार्यता होगी । उन्हें दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की विभिन्न जाँच में भाग नहीं लेना होगा । भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है । भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का दिनांक 01.01.2019 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अथवा Defence Services के द्वारा उनकी सेवा के दौरान उन्हें जारी किया गया स्नातक योग्यता का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है ।

सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	04	01
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	08	03
4.	पिछड़ा वर्ग	05	02
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	02
6.	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	02	
7.	अनारक्षित (सामान्य)	17	05
8.	कुल योग	42	13

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) [Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman)] हेतु अधिसूचित 42 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र:

(1) पुलिस अवर निरीक्षक, (2) प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी), (3) सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) एवं (4) सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक-22.08.2019 (वृहस्पतिवार) से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 25.09.2019 (बुधवार) निर्धारित है । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट [.bpssc.bih.nic.in](http://bpssc.bih.nic.in) पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 700/- (सात सौ) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 400/- (चार सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट [.bpssc.bih.nic.in](http://bpssc.bih.nic.in) पर जाकर दिये गए आवेदन-पत्र संबंधी लिंक (link) पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है।

पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश

पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट: एक वैध सक्रिय मोबाइल फोन नम्बर और ई-मेल ID रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक BPSSC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ई-मेल पते से संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है। BPSSC गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल पता इनपुट (s) के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1. पंजीकरण प्रपत्र

(नोट: कृपया आवेदन-पत्र खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें)

(1) आवेदक का नाम:

- Direct Recruitment**- आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।
- Ex-serviceman**- आवेदक का नाम PPO/Defence services documents के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।
- Employees of Bihar Government**- आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।

(2) **राष्ट्रीयता:** आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय रूप में भरेगा, क्योंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

(3) **मोबाइल नम्बर:** वैध और सक्रिय मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि यह BPSSC से भावी संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नम्बर दर्ज करते हैं तो आप भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यदि BPSSC से सूचनाओं के दौरान किसी भी समय आपका मोबाइल नम्बर काम नहीं कर रहा है तो BPSSC न तो उत्तरदायी होगा और न ही जिम्मेदार होगा। कोई भी आवेदक सिर्फ एक

आवेदन-पत्र भर सकता है। एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। अगर BPSSC को लगता है कि आपने विभिन्न मोबाइल नम्बरों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद मोबाइल नम्बर में बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) **ई-मेल ID:** पंजीकरण के लिए एक व्यक्तिगत ई-मेल ID अनिवार्य है। आप पत्राचार/संवाद के लिए इस ई-मेल पते का प्रयोग करेंगे क्योंकि BPSSC “एडमिट कार्ड डाउनलोड”, “चेक यूअर रिजल्ट” आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण संवाद भेजेगी। आप एक ई-मेल पते के साथ केवल एक आवेदन कर सकते हैं। यदि BPSSC को पता चलता है कि आपने अलग-अलग ईमेल पतों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है तो आपके सभी आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद ई-मेल पते में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) **बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल):** यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो “हां” चुनें, अन्यथा “नहीं” चुनें। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को “अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट” दिखाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) **वर्ग:** आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे, सामान्य, EWS, EBC, BC, SC, ST और EWS, EBC, BC, SC, ST से संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, को सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए।** पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) **लिंग:** जो लागू हो (पुरुष या महिला)।

(8) **Employee of Bihar Government:** वैसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और उच्च वेतनमान के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें “YES” का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) **Ex-serviceman:** वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं और उम्र सीमा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें “YES” का चयन करना होगा। अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10) **जन्म तिथि:**

- A. **Direct Recruitment-** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2019) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	पुरुष		महिला	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
सामान्य	20	37	20	40
EWS	20	37	20	40
BC/EBC	20	40	20	40
SC/ST	20	42	20	42

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

- B. **Ex-serviceman:** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/Defence services documents के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक जो पूर्व सैनिक (JCO / NCO) से हैं, उनकी अधिकतम आयु निम्न मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए (1 जनवरी 2019 को)।

पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं पुलिस सार्जेंट के लिए आयु मानदंड:

	पुरुष	महिला	दोनों (पुरुष - महिला)
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age	Maximum Age Limit
सामान्य	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
EWS	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
BC/EBC	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
SC/ST	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

सहायक अधीक्षक जेल (भूतपूर्व सैनिक) के लिए आयु मानदंड

Post	Maximum Age Limit
सहायक अधीक्षक जेल (भूतपूर्व सैनिक)	50 Years

- i. आवेदक PPO संख्या: आवेदक को अपना पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर देना होगा।
- ii. सेवा आरंभ तिथि: आवेदक को सेवा आरम्भ करने की तिथि प्रदान करनी होगी।
- iii. सर्विस डिस्चार्ज तिथि: आवेदक को सर्विस से डिस्चार्ज होने की तिथि भी देनी होगी।

C. Employees of Bihar Government- जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2019) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	Male	Female
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age
General	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
EWS	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
BC/EBC	40 Years+5 Years	40 Years+5 Years
SC/ST	42 Years+5 Years	42 Years+5 Years
(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)		

नोट: प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद, पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा। भुगतान करने से पहले, आवेदक "Edit Details" बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार भुगतान करने के बाद आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते।

2: भुगतान करें:

(1) पंजीकरण पूरा करने के बाद आपको नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक के देय लेनदेन शुल्क लागू होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाए जाएंगे।

आवेदन शुल्क निम्न है।

	पुरुष	महिला
सामान्य	700	700
EWS/BC/EBC	700	700
SC/ST	400	400

- (2) सफल भुगतान के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे।
- (3) आवेदक को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए।
- (4) किसी भी मामले में सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (5) Submit करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए।
- (6) अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाएगी। BPSSC किसी भी प्रकार के मुद्दों या देय तिथि से पहले फॉर्म भरने में आवेदक की वजह से होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

3. पंजीकरण रद्दीकरण:

- (1) यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और वह फिर से पंजीकरण कर सकता है लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (2) पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशा निर्देश:
 - (i) पंजीकरण रद्द करने के लिए वेबसाइट पर जाएं और 'View Application Status' बटन पर क्लिक करें।
 - (ii) अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल नम्बर और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें।
 - (iii) 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Registration' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Registration' बटन पर क्लिक करना होगा।
 - (iv) क्लिक करने के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
 - (v) आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
 - (vi) रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सन्देश प्राप्त होगा जिसमें पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा।

(3) पंजीकरण रद्द करने के बाद आवेदक का मोबाइल नम्बर मुक्त कर दिया जाएगा ताकि आवेदक उसी मोबाइल नम्बर के प्रयोग से फिर से पंजीकरण कर सके।

नोट: 01 जनवरी 2019 तक या इससे पहले, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2019 को भी भलीभांति पढ़ लिया है । मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश:

निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें :

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र :

- A. Direct Recruitment – शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट- ग्रेजुएशन (वैकल्पिक))
- B. Ex-Serviceman - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन (वैकल्पिक))।

2. पते का विवरण

- (a) Direct Recruitment- पते का विवरण (आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)। (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
- (b) Ex-serviceman- पते का विवरण (आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाण-पत्र/Defence Services documents के अनुसार)। (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)

3. आपका jpg या png प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए।

फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

(a) पासपोर्ट साइज (3.5 cm x4.5 cm) का दो माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फोटो अपलोड करें।

- (b) फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
- (c) फोटो की साइज 25 केबी से कम होनी चाहिए।
- (d) फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
- (e) फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला/रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए।
- (f) सुनिश्चित करें कि आपने अपना ही फोटो अपलोड किया है अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी **दोनों** में पेन ड्राइव या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें। दोनों हस्ताक्षर काले स्याही में सफेद कागज पर होंगे और साइज में प्रत्येक 25 केबी से कम होंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करते हैं अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन-पत्र में भरने के विवरण (आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि: 25.09.2019)

- (1) पद की प्राथमिकताएँ: पद की प्राथमिकताएँ अनिवार्य हैं। आपको अपनी पसंद के अनुसार पदों की प्राथमिकता का चयन करना होगा। यदि आप Ex-serviceman हैं और आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक) पद आपकी प्राथमिकताओं में उपलब्ध नहीं होगा।
- (2) व्यक्तिगत विवरण :
 - (a) पिता का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार होना चाहिए या Ex-Serviceman के लिये PPO/Defence Services Documents के अनुसार होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को उपरोक्तानुसार अपने पिता के नाम के साथ-साथ दिए गए जगह में अपने पति का नाम भी लिखना होगा।
 - (b) वैवाहिक स्थिति।
 - (c) पहचान पत्र का प्रकार (सूची में दी गई), ID कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए ID कार्ड प्रकार से मेल खाना चाहिए।
 - (d) एक पहचान चिन्ह अनिवार्य है (उदाहरण: जैसे कि बाएं हाथ पर तिल)।
- (3) शैक्षणिक योग्यता :
 - (a) सभी विवरण आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए।
 - (b) **Direct Recruitment :** 01 जनवरी 2019 तक या इसके पूर्व, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - Ex-Serviceman :** 01 जनवरी 2019 तक या इसके पूर्व, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या आपके पास डिफेन्स सर्विसेज के द्वारा जारी की हुई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए।

(c) **Direct Recruitment** : मैट्रिक्यूलेशन और ग्रेजुएशन शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है। यदि आप स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) हैं तो संबंधित कॉलम में संबंधित विवरण भरें।

Ex-Serviceman : ग्रेजुएशन शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है। यदि आप पोस्ट-ग्रेजुएट हैं तो संबंधित कॉलम में संबंधित विवरण भरें।

(4) पते का विवरण :

(a) अपना स्थायी पता और पत्राचार पता भरें। महिला आवेदिका यदि विवाहित हैं तो उनका स्थायी पता वही होगा जो उनके पति का स्थायी पता है।

(b) पत्राचार पते का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाएगा और BPSSC नियुक्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार का पत्राचार इसी पते पे भेजेगा।

(5) फोटो और हस्ताक्षर अपलोड:

(a) अपना रंगीन पासपोर्ट साइज (3.5cm x 4.5 cm) फोटो अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)

(b) हिंदी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)।

(c) अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)।

नोट: प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद, विवरण का प्रीव्यू दिखाया जाएगा।

अंतिम रूप में “आवेदन-पत्र” सबमिट करने से पहले, आवेदक “Edit details” बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि और सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक पुष्टिकरण सन्देश प्राप्त होगा। सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को अंतिम रूप में लिया जायेगा, और BPSSC आवेदन-पत्र में किसी और बदलाव की अनुमति नहीं देगा। इसमें कोई एडिट सुविधा नहीं है, इसलिए आवेदक विवरण भरते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि सारे विवरण संबंधित प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के ही अनुरूप हों। BPSSC उम्मीदवार द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए या फिर अंतिम क्षणों में फॉर्म भरने में की गयी किसी भी गलती के लिए ना तो उत्तरदायी है और ना ही जिम्मेदार है।

(6) आवेदन-पत्र रद्दीकरण:

(a) यदि आपने गलत विवरण के साथ आवेदन सबमिट किया है तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक आवेदन-पत्र को रद्द कर सकता है और वह आवेदन-पत्र को फिर से भर सकता है लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।

(b) आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश:

- (i) आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए वेबसाइट पर जाएं (://apply-bpssc.com) और 'View Application Status' बटन पर क्लिक करें।
 - (ii) अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल नम्बर और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें।
 - (iii) 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Application form' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Application form' बटन पर क्लिक करना होगा।
 - (iv) क्लिक करने के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
 - (v) आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
 - (vi) रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन-पत्र रद्दीकरण का उल्लेख होगा।
- (c) आवेदन-पत्र रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल नम्बर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल नम्बर के प्रयोग से एक नया आवेदन-पत्र भर सके।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2019 को भी भलीभांति पढ़ लिया है। मैं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा।

उल्लेखनीय है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक-01.01.2019 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण-पत्रों से

मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

अभ्यर्थियों की आरक्षित श्रेणियाँ/वर्ग हैं- (1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), (3) पिछड़ा वर्ग (BC), (4) अनुसूचित जाति (SC) एवं (5) अनुसूचित जनजाति (ST) । आवेदन-पत्र में आवेदकों को अपनी श्रेणी का ही उल्लेख करना है । यदि आवेदक अपनी श्रेणी के स्थान पर किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

मेधा सूची: उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षाफल समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में प्रकाशित किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण निर्देश:

भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-25.09.2019 (बुधवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र उनके ई-मेल पर निर्गत किया जायेगा । लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जायेगी ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।